1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी/एल.आर./8382/2006/करौली** **लखीराम बनाम पृथ्वीराज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी श्री जे0के0 पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84, के अंतर्गत भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के निर्णय दिनांक 24–08–2006 अपील संख्या 17/2004 शीर्षक लक्खीराम बनाम पृथ्वीराज के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी–गैर निगराकार की ओर से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर गत 556 हाल 1200 मीन की पाल रिकार्ड में गलती से सुगन के नाम दर्ज हो गई है, अतः रिकार्ड में दुरुस्ती कर इसे तोफान्या के नाम दर्ज किया जाए। उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 31–10–1984 को अविधिक रुप से स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अति0 कलक्टर, करौली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिस अपील को अति0 कलक्टर, करौली ने दिनांक 09–09–2004 को खारिज किया है और अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के निर्णय दिनांक 24–08–2006 से भी अपील को अविधिक रुप से खारिज किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि सहायक कलक्टर, नादौती के समक्ष सुगना की ओर से जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसमें निर्णय दिनांक 13–02–2003 के द्वारा वाद को खारिज किया गया था जिसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील संख्या 82/2003 को निर्णय दिनांक 5–3–2004 से राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने स्वीकार किया है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों को इस निर्णय की पालना में वर्तमान प्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने इस निर्णय	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी/एल.आर./8382/2006/करौली</u>** **<u>लखीराम बनाम पृथ्वीराज</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के विरुद्ध निगरानी माननीय मण्डल में लंबित होना मानते हुये इसी आधार पर अपीलों को अस्वीकार किया है जो कि पूर्णतया अविधिक है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों के निर्णय अविधिक होने से इन्हें निरस्त किया जाये और सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, नादौती के निर्णय दिनांक 31–10–1984 को भी निरस्त किया जाये। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की ओर से बहस में निवेदन किया कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, नादौती द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–10–1984 सुगन पुत्र झूॅथ्या द्वारा सशपथ प्रस्तुत किए गए हलफनामे व बयानों के आधार पर दिया गया है जिसमें उसने स्पष्ट अंकित किया है कि मेरा इस पाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसी के नाम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रिकार्ड में दुरुस्त करके तोफाना के नाम उक्त पाल जो उसी की है उसे कर दी जाये। सुगन द्वारा जो वाद दायर किया गया था उसे निर्णय दिनांक 13–02–2003 के द्वारा वाद को खारिज किया गया था जिसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील संख्या 82/2003 को निर्णय दिनांक 5–3–2004 से राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने स्वीकार किया है, किन्तु इस निर्णय के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील विचाराधीन है, जिसमें स्थगन भी जारी किया हुआ है। दिनांक 31–10–1984 के निर्णय के विरुद्ध असाधारण देरी से करीब 19 वर्ष के बाद, दिनांक 21–7–2003 को अति0 कलक्टर, करौली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा नियमित वाद/अपील के माननीय मण्डल से निर्णित होने तक किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं करने का उचित मंतव्य दिया है। निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है, अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि प्रार्थी–गैर निगराकार तोफान्या की ओर से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को दिनांक 31–10–1984 को स्वीकार किया गया है। पाया जाता है कि इस प्रकरण में सुगन पुत्र झूॅथ्या द्वारा सशपथ हलफनामे व बयान प्रस्तुत किए हैं जिसमें उसने स्पष्ट अंकित किया है कि मेरा इस	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी/एल.आर./8382/2006/करौली</u>** **<u>लखीराम बनाम पृथ्वीराज</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसी के नाम करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रिकार्ड में दुरुस्त करके तोफाना के नाम उक्त पाल जो उसी की है उसे कर दी जाये। प्रकरण के परीक्षण में ये भी पाया जाता है कि सहायक कलक्टर, नादौती के समक्ष सुगना की ओर से जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसमें निर्णय दिनांक 13–02–2003 के द्वारा वाद को खारिज किया गया था जिसके विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील संख्या 82/2003 को निर्णय दिनांक 5–3–2004 से राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर ने स्वीकार किया है। अति0 जिला कलक्टर, करौली ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि "अपीलाण्ट व रैस्पो0 के मध्य रेगुलर सूट भी माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है। इसके लिए दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की है, माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यथास्थिति का स्थगन भी है जिसमें दोनों पक्षों द्वारा इन्कार नहीं किया गया है।" स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य अधिकारों को ले कर जो कार्यवाही की है उसमें माननीय राजस्व मण्डल के स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अति0 जिला कलक्टर, करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–09–2004 में स्पष्ट रुप से माना है कि रैगूलर सूट के चलते अपील का कोई औचित्य नहीं है और रैगूलर सूट में निर्णय होना है तो कोई भी आदेश पारित करना लिटीगेशन को बढावा देना होगा। यहॉ यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि दोनों पक्षों की ओर से हमारे समक्ष स्पष्ट नहीं किया है कि मण्डल के समक्ष विचाराधीन अपील में किसी प्रकार का निर्णय हो चुका है। अतः हमारे मतानुसार उक्त निणर्य में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है और अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय को पुष्ट किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वर्तमान निगरानी के माध्यम से किया जाना हम उचित नहीं पाते है। निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये इन निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना सम्भव नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	